पत्र सं0– वि.प्रा. (IV) यो. – 63/ 2019–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत 9 (नौ) अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल रू. 45,00,000=00 (पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 9 (नौ) अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तक के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रू. 5,00,000=00 (पांच लाख रूपये) मात्र की दर से कुल रू. 45,00,000=00 (पैंतालीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृति राशि (रूपये में)
1	बी. पी. मंडल अभियंत्रण महावि., मधेपुरा	500,000.00
2	सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक., सीतामढ़ी	500,000.00
3	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम	500,000.00
4	अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर	500,000.00
5	पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	500,000.00
6	बांका अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका	500,000.00
7	कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार	500,000.00
8	जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	500,000.00
9	सुपौल अभिंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	500,000.00
	कुल	**4,500,000.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 112–इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से सिमेस्टर वार उपलब्ध एवं आवश्यक पुस्तको का GAP ANALYSIS तैयार कर उन्ही पुस्तक का क्रय किया जायेगा कि एक पूरे सिमेस्टर के लिए आवश्यक पुस्तक की संख्या पूर्ण हो जाय।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 63/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 63/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सासाराम, बाढ़ (पटना), पूर्णिया, बांका, कटिहार एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 63/ 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय, बी॰ पी॰ मंडल अभियंत्रण महावि॰, मधेपुरा, सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक॰, सीतामढ़ी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम, अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर, पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया, बांका अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका, कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार, जमुई अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई एवं सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 63/ 2019– 993 /पटना, दिनांक– 12/3/2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.20
सरकार के उप सचिव